

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा—मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025—26/40068—7734720/2a दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2025—26

सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक)

1	योजना का नाम एवं क्षेत्र	बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक)
2	योजना का उद्देश्य	सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। उन सहरिया परिवारों के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे कि उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।
3	परिभाषा	कक्षा 1 से 5 तक के जनजाति सहरिया छात्र—छात्राओं को स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4	आवेदन की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none">➤ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।➤ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 01 से 5 वीं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के छात्र/छात्राओं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होगा।➤ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।➤ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।➤ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है –<ol style="list-style-type: none">1. विद्यार्थी का पता2. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या3. विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय➤ बैंक इनफार्मेशन।➤ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात् अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें।➤ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेंगे।➤ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे।➤ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।

		➤ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा।
5	देय लाभ	बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 1 से 5 तक 1000 रु. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष।
6	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बारां जिले के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो। 2. बारां जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो। 3. छात्र/छात्रा के माता-पिता /अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो।
7	आवश्यक दस्तावेज	<ol style="list-style-type: none"> 1. जाति प्रमाणपत्र। 2. मूल निवासी प्रमाण-पत्र। 3. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 4. नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र
8.	तिथि विवरण	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि 30.09.2025

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान